वित्त विश्लेषक के पद के लिए भर्ती सूचना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र ;एनएचएसआरसी नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूर्णतया संविदात्मक आधार पर उपर्युक्त पद के लिए योग्य अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

प्रभाग का नाम	**बजट (एनएचएम) प्रभाग**
किसको रिपोर्ट करेंगे	निदेशक (बजट)
पद का नाम	**वित्त विश्लेषक**
पदों की संख्या	एक
कार्य स्थल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन (अम्ब्रेला आर्गेनाइज़ेशन), जिसका उद्देश्य, प्राथमिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य प्रदायगी प्रणाली उपलब्ध कराना है। एनएचएम के अधीन वित्त प्रबंध प्रणाली के कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता करने के लिए पूर्णतः संविदा आधार पर तकनीकी सहायक के रूप में जन **शक्ति** सहयोग की आवश्यकता होती है। बजट प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान और नाको विभाग के बजट संबंधी कार्य करता है।

2. उद्देश्य

केंद्रीय स्तर पर वित्त **विश्लेषक** का कार्य, फंड जारी करने, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, खर्च नहीं हुई धनराशियों, उपयोग प्रमाण पत्रों (यूसी), फील्ड समीक्षा दौरे सहित आरसीएच फ्लेक्सीपूल, एचएसएस, एनसीडी, एनयूएचएम और एनडीसीपी सहित एनएचएम के तहत फंड के प्रबंध की निगरानी करना है

3. कार्य का विवरण

प्रमुख दायित्वः

;पद्ध डेटा समेकन, गतिविधि–वार, प्रभाग–वार, राज्य–वार, तिमाही एवं **वर्ष**–वार वित्तीय एमआईएस निकालने, और एनएचएम के तहत आबंटन के प्रतिशत के संदर्भ में अवमुक्त और व्यय से संबंधित तुलनात्मक ब्यौरा तैयार करने की देखरेख करना।

;पपद्ध एनएचएम के तहत उपयोग प्रमाणपत्रों (यूसी) का पीएओ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में समग्र समायोजन से संबंधित आरसीएच फ्लेक्सीपूल, टीकाकरण और मिशन फ्लेक्सिबल पूल के मंजूरी आदेशों (सैन्कशन आर्डर) की वित्त **वर्ष**-वार गार्ड फाइलों के तैयारी की देखरेख करना।

;पपपद्ध निम्नलिखित के संबंध में एनएचएम के तहत जानकारी का संकलन और **विश्लेषण** करनाः

1- राज्यवार फंड जारी और व्यय;
2- राज्यवार आवंटन;
3- एपयोग प्रमाण पत्र (यूसी);
4- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उप घटक योजनाएं;
5- पूर्वोत्तर उप घटक योजनाएं
6- पीएफएमएस निगरानी का कार्यान्वयन;
7- खर्च न हुई **शेष** राशि की निगरानी;
8- लेखा–परीक्षा संबंधी प्रश्नों का निपटारा;
9- व्यय की प्रवृत्ति;
10- एनएचएम प्रभाग और मंत्रालय के भीतर अन्य प्रभागों के साथ समन्वय कार्य

<u>अन्य दायित्वः</u>

;पद्ध एनएचएम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, अर्थात् आरसीएच फ्लेक्सीपूल, एचएसएस, एनसीडी, एनयूएचएम और एनडीसीपी के लिए घटक वार फंड उपयोग का डेटाबेस का संकलन।

;पपद्ध फंड उपयोग, लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्रों, व्यय की प्रवृत्तियों, एफएमआर प्रारूप के अनुसार अंतर–आरसीएच और एनआरएचएम घटकों के बीच उपयोग की प्रवृत्ति संबंधी डेटा का विश्ले"ाण।

;पपपद्ध समय–समय पर संसदीय प्रश्नों/समितियों, सूचना का अधिकार, वीआईपी संदर्भ, सीएजी और डीजीएसीई लेखा–परीक्षाओं इत्यदि संबंधी सूचना और डेटा सहयोग उपलब्ध कराना।

4. परिणाम

सभी कार्यों और दायित्वों पर समय से कार्रवाई और प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक (बजट) को की गई कार्रवाई और प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

5. शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव

किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से एमबीए (वित्त) या पीजीडीबीएम/पीजीडीबीए (वित्त) अधिमानतः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/विज्ञान/अर्थशास्त्र **विषय** में स्नातक उपाधि के साथ।

सामाजिक और निजी क्षेत्र में वित्त और लेखा के क्षेत्र में न्यूनतम 5 **वर्षों** का अनुभव। कंप्यूटरीकृत लेखा पैकेजों अधिमानतः टैली, एमएस–ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पाइंट का ज्ञान वांछनीय होगा।

6. यात्रा और निर्वाह

परामर्शदाता राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव स्तरों पर बड़े पैमाने पर यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राओं को निदेशक (बजट) द्वारा अग्रिम रूप से प्राधिकृत किया जाएगा। यात्रा के दौरान, परामर्शदाता को एनएचएसआरसी के नियमों के अनुसार एक नियत यात्रा/आवास खर्च के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त होगा।

7. रिपोर्टिंग जरूरतें

परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक (बजट) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

8. परामर्श अवधि

परामर्श पूरे एक**वर्ष** के लिए जारी रहेगा **जो** एनएचएम **की निरंतरता पर निर्भर हैं**। और संविदा को आगे पूर्णतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के विवेक से बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, दोनों पक्षों द्वारा लिखित में एक महीने का नोटिस देकर परामर्श को निरस्त किया जा सकता है।

9. पारिश्रमिक

परामर्शदाता को उनकी **शैक्षणिक** योग्यता और अनुभव के आधार पर भारत सरकार, विकास भागीदार और अन्य नामित **विषय विशेषज्ञों** के संयुक्त चयन मंडल के निर्णयानुसार 60,000/– रु. से 90,000/– रु. तक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। यदि भारत सरकार के बजट से तैनाती और भुगतान किया जाता है, तो इस उद्देश्य हेतु खुले विज्ञापन के समय मौजूद **शर्तों** के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की चयन/समीक्षा समिति द्वारा पारिश्रमिक का निर्णय लिया जाएगा।

परामर्शदाता, परामर्श करार में **स्पष्ट** रूप से उपलब्ध लाभों के अलावा किसी अन्य लाभ, भुगतान, सब्सिडी, मुआवजा या पेंशन का हकदार नहीं होगा। परामर्शदाता को कराधान से कोई छूट नहीं दी जाएगी और वह प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

10. आयु: आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को आवेदक (व्यक्ति) की आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए।

आवेदन की प्रक्रियाः कैंडिडेट्स को अनुरोध किया जाता हैं के वह निर्धारित आबेदन पत्र को डाउनलोड करे और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के ई-मेल nhm.recruitment@nhsrcindia.org में दिनांक **17-Apr-2017** को अपराह्न्न **4** बजे तक **अवश्य भेज दे**। केवल निर्धारित **TOR के** सहित **संलग्न आवेदन पत्र** में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।